वेबसाइट शाखा

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान–सभा
त्रयोदश (बजट)–सत्र
वर्ग–2

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शनिवार, दिनांक– 03 फाल्गुन, 1935(श0) / 22 फरवरी, 2014(ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
54.	अ0सू0–11	श्री विद्युत वरण महतो	भवन का निर्माण कराना।	मानव संसाधन	17.02.14
55.	अ0सू0–20	श्री प्रदीप यादव	वरीयता सूची जारी करना।	वन एवं पर्या0	17.02.14
56.	अ0सू0–18	श्री माधव लाल सिंह	बच्चों का नामांकन कराना।	मानव संसाधन	17.02.14
57.	अ0सू0–16	श्री जनार्दन पासवान	**विद्यालयों को उत्क्रमित करना।**	मानव संसाधन	17.02.14
58.	अ0सू0–07	श्री बन्ना गुप्ता	बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित कराना।	मानव संसाधन	16.02.14
59.	अ0सू0–19	श्री प्रदीप यादव	विज्ञापन को पुनः जीवित करना।	उद्योग	17.02.14
60.	अ0सू0–13	श्री अरविन्द कु0 सिंह	ऋण की वापसी कराना।	उद्योग	17.02.14
61.	अ0सू0–04	श्री विनोद कुमार सिंह	शिक्षक की नियुक्ति।	मानव संसाधन	16.02.14
62.	अ0सू0–02	श्री विनोद कुमार सिंह	महाविद्यालयों को अंगीभूत करना।	मानव संसाधन	16.02.14
63.	अ0सू0–03	श्री उमाकांत रजक	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का समायोजन।	वन एवं पर्या0	16.02.14
64.	अ0सू0–17	श्री माधव लाल सिंह	उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना।	मानव संसाधन	17.02.14
65.	अ0स0–09	श्री हेमलाल मुर्मू	बालू घाटों की निलामी।	खनन् एवं भूतत्व	16.02.14

कृ0 पृ0 उ0

66. अ0सू0-10	श्री विद्युत वरण महतो	शैक्षणिक कार्य प्रारंभ कराना।	विज्ञापन एवं प्रावैधिकी	17.02.14
67. अ0सू0-14	श्री अरविन्द कुमार सिंह	क्रसर को चालू कराना।	वन एवं पर्या0	17.02.14
68. अ0सू0-01	श्री बंधु तिर्की	परीक्षा विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित कराना।	मानव संसाधन	16.02.14
69. अ0सू0-12	श्री बंधु तिर्की	शिक्षकों को सुविधा देना।	मानव संसाधन	17.02.14
70. अ0सू0-06	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	मुआवजा राशि देना।	वन एवं पर्या0	16.02.14
71. अ0सू0-08	श्री बन्ना गुप्ता	प्रस्वीकृति प्रदान कराना।	मानव संसाधन	16.02.14

राँची,
दिनांक- 22 फरवरी, 2014 (ई0)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-07/2010- 600 /वि0स0, राँची, दिनांक- 20.2.14

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 19/02/14
(सुरेश रजक)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-07/2010- 600 /वि0स0, राँची, दिनांक- 20/2/14

प्रतिलिपिः-माअध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 19/02/14
अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-07/2010- 600 /वि0स0, राँची, दिनांक- 20/2/14

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 19/02/14
अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

शंकर/-

19.02.14

श्री विद्युत वरण महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -11

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा प्रखण्ड में महिला महाविद्यालय का अभाव है जिसके कारण उक्त क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बहरागोड़ा प्रखण्ड अंतर्गत बहरागोड़ा महाविद्यालय, बहरागोड़ा एक अंगीभूत ईकाई है, जिसमें सह शिक्षा के अंतर्गत छात्राओं के शिक्षण की व्यवस्था है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री द्वारा बहरोगोड़ा में महिला महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी थी जिसकी कुछ कागजी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गयी है किन्तु भूमि का न तो सत्यापन हो सका है और न भवन निर्माण संबंधी आवश्यक कार्रवाई ली जा सकी है जबकि इस मद में कोल्हान विश्वविद्यालय को आवश्यक निधि उपलब्ध करा दी गई है।	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी सिंहभूम जिला बहरागोड़ा प्रखण्ड में महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को कोई राशि विमुक्त नहीं की गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त महाविद्यालय निर्माण संबंधी सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए महाविद्यालय भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-11/2014...300.../ रांची दिनांक 21/02/2014......./

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-373 दिनांक-17.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

55

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.02.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–20 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
संख्या–अ0 सू0–20, क्या मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, यह बतलानें की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि राज्य में सहायक वन संरक्षकों का अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन लम्बित रहने के कारण DFO के पद पर पदस्थापन बाधित है;	अस्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में सहायक वन संरक्षकों से संबंधित लम्बित सभी मामलों की समीक्षोपरान्त झारखण्ड सरकार द्वारा डॉ0 एस0 एन0 त्रिवेदी, झा0 व0 से0 की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय कमिटि ने भी अपनी रिपोर्ट में अविभाजित बिहार सरकार द्वारा जारी राज्य वन सेवा की अंतिम वरीयता सूची को झारखण्ड राज्य में भी लागू करना कानूनन बाध्यकारी बताया है;	त्रिसदस्यीय समिति के प्रतिवेदन पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सहायक वन संरक्षकों की अविलम्ब अंतिम वरीयता सूची जारी कर DFO पद पर पदस्थापन का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सहायक वन संरक्षकों की झारखण्ड सरकार द्वारा अंतिम वरीयता सूची वर्ष 2007 में अधिसूचित है। जिसके आलोक में राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों हेतु कर्णांकित वन प्रमंडल पदाधिकारियों के पदों पर पदस्थापन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–31/2014– 921 व0प0, राँची, दिनांक– 20/2/2014

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–397 दिनांक– 17.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/2/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

56

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री माधव लाल सिंह, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–मास–18

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून लागू किये जाने से सभी निजी विद्यालयों में भी 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों का नामांकन करने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित शिक्षा के अधिकार कानून का पालन डी0पी0एस0 बोकारो, पेन्टाकॉस्टल, चिन्मया, डी0ए0वी0, बोकारो आदि निजी विद्यालयों में नहीं हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। डी0पी0एस0 बोकारो, चिन्मया एवं डी0ए0वी0, बोकारो द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में बच्चों का नामांकन लिया गया है। दी पेन्टाकॉस्टल विद्यालय द्वारा इस आधार पर नामांकन नहीं लिया गया है कि उनका विद्यालय एक अल्पसंख्यक विद्यालय है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड 2 में वर्णित विद्यालयों में जाँच कराकर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों का नामांकन नहीं करने वालों पर उक्त कानून का उल्लंघन करने के विषय पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, बोकारो को निदेशित किया जा रहा है कि सत्र 2014–15 में वे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीटों पर अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।

21/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक– 8/73-17/2014-317, रॉंची, दिनांक– 21/2/14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 371, दिनांक 17.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

57

श्री जनार्दन पासवान, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-16

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत मध्य विद्यालय, डुहरी, प्रखंड चतरा, मध्य विद्यालय, चकला, प्रखंड हंटरगंज मध्य विद्यालय बरवाकोचवा प्रखंड प्रतापपुर एवं मध्य विद्यालय एघारा प्रखंड प्रतापपुर से किसी भी उच्च विद्यालय की दूरी 25 से 30 कि0मी0 से कम नही है।</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन मध्य विद्यालयों से उच्च विद्यालयों की दूरी निम्न प्रकार है :-
<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>मध्य विद्यालय का नाम</th><th>उच्च विद्यालय का नाम</th><th>दूरी (कि0मी0)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मध्य विद्यालय, डुहुरी (प्रखंड-चतरा)</td><td>उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मरमडीरी</td><td>05</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मध्य विद्यालय, चकला (प्रखंड-हंटरगंज)</td><td>उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डाटम</td><td>08</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>मध्य विद्यालय बरवाकोचवा (प्रखंड-प्रतापपुर</td><td>उत्क्रमित उच्च विद्यालय, टंडवा</td><td>05</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मध्य विद्यालय, एघारा (प्रखंड- प्रतापपुर)</td><td>उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कौरा</td><td>06</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सभी मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय में उत्क्रमित होने की अर्हता रखते है।</td><td>राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् नीति निर्धारित की गयी है कि 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि निकटतम उच्च विद्यालय नही रहने के कारण उपरोक्त सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को अग्रेत्तर शिक्षा प्राप्त करने में काफी असुविधा होती है तथा कुछ अग्रेत्तर शिक्षा से वंचित रह जाते है।</td><td>इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 मे वर्णित सभी मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् निर्धारित नीति के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की कारवाई की जा रही है।</td></tr>
</table>

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-56/2014........344........../ दिनांक.......21-02-2014......../

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

58

श्री बन्ना गुप्ता, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-07

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 65 प्रतिशत बालिकाएं अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी नही कर पा रही है।	प्रारम्भिक स्तर पर लगभग 45 प्रतिशत बालिकायें अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाती हैं।
2	क्या यह बात सही है कि कक्षा 9 से कक्षा 10 में केवल 25 प्रतिशत और कक्षा 11 से कक्षा 12 में मात्र 12 प्रतिशत लड़कियाँ ही नामांकन ले रही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। (Unified District Information System of Education) UDISE-2012-2013 के आंकड़े के अनुसार वर्ग-9 से वर्ग-10 में जाने वाली छात्राओं का प्रतिशत 95.59 प्रतिशत है, जबकि वर्ग-11 से वर्ग-12 में जाने वाली छात्राओं का प्रतिशत शत् प्रतिशत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 18 वर्ष तक की बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कानून बनाने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर खंड-2 में सन्निहित है। केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् 18 वर्ष की आयु तक के सभी बालक-बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा हेतु अलग से कोई कानून लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

झापांक-12/स.5(1)-28/2014.....345...../ दिनांक.....21-02-2014.....

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

59

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि जिला उद्योग केन्द्रों में परियोजना प्रबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा 2007 में JPSC को अधियाचना भेजी गयी थी ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थित यह है कि विभागीय पत्रांक–1920 दिनांक–25.10.2006 द्वारा उक्त नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित की गयी थी।
2	क्या यह बात सही है कि छः वर्ष उपरांत भी JPSC द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी ;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अधियाचना उद्योग विभाग द्वारा वापस लिये जाने के फलस्वरूप JPSC द्वारा दिनांक–24.08.2013 को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या–10/2007 को रद्द किया गया है ;	उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–359 दिनांक–26.02.2013 द्वारा अधियाचना वापस ली गयी है। विज्ञापन रद्द करने की कार्रवाई JPSC से संबंधित है।
4.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त विज्ञापन के रद्द होने से कई अभ्यार्थियों की उम्र नई नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा समाप्त हो गई है ;	बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली–1987, जो झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया है, के भाग–4 में उम्र के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। विभाग के स्तर पर अभ्यार्थियों की उम्र संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अभ्यार्थियों द्वारा विज्ञापन के विरूद्ध सीधे JPSC को आवेदन प्रेषित किया जाता है। अतएव यह JPSC से संबंधित है।
5.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उद्योग विभाग एवं JPSC के दोषी पदाधिकारियों को दण्डित करने एवं रद्द विज्ञापन को पुनः जीवित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उद्योग के क्षेत्र में तेजी से बदलते परिदृश्य के सापेक्ष में उद्योग सेवा संवर्ग के पुनर्गठन की आवश्यकता को चिन्हित किया गया है। वर्त्तमान में नये परिवेश में उद्योग की आवश्यकता को देखते हुए विभागान्तर्गत झारखण्ड उद्योग सेवा नियमावली–2013 का गठन प्रक्रियाधीन है। नियमावली के गठन के पश्चात ही अधियाचना पुनः JPSC को प्रेषित की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 233 /राँची, दिनांक 21-02-2014 /
01/उ0वि0/वि0स0–14/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–396 दिनांक–17.02.2014 के आलोक में उत्तर की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/14
सरकार के अवर सचिव

(60)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 22.02.2014 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–13 की उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि चांडिल अनुमण्डल स्थित बिहार स्पांज आयरन कारखाना प्रबंध ने वर्ष 2004–05 में 32.5 करोड़ (बतीस करोड़ पचास लाख रूपये) ऋण के रूप में कम्पनी के सफल संचालन के लिए प्राप्त किया था।	स्वीकारात्मक है। चांडिल अनुमण्डल स्थित बिहार स्पांज आयरन कारखाना को झारखण्ड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 के प्रावधानों के आलोक में वर्ष 2004 में रू0 32.50 करोड़ का भुगतान सॉफ्ट ऋण के रूप में किया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि ऋण की राशि सूद सहित अभी तक संबंधित कम्पनी प्रबंधन द्वारा वापस नहीं किया गया है।	स्वीकारात्मक है। अब तक विभिन्न किस्तों द्वारा मात्र 3.208 करोड़ रू0 वापस किया गया है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कम्पनी से सूद सहित ऋण की वापस कराते हुए कम्पनी के उपर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों?	चूंकि यह कम्पनी Board for Industrial & Financial Reconstruction में SICA Act-1985 के अन्तर्गत रूग्न निबंधित थी। अतः झारखण्ड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत 32.50 करोड़ साफ्ट ऋण की स्वीकृति एवं भुगतान किया गया था। कम्पनी के द्वारा ससमय किस्त जमा नहीं किए जाने के कारण आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा नीलाम पत्र पदाधिकारी सरायकेला–खरसांवा के यहां केस दायर किया गया था। आयडा के पक्ष में निर्णय नहीं दिए जाने के कारण उक्त फैसले के विरूद्ध, उपायुक्त, सरायकेला–खरसांवा के यहां पुनर्विचार याचिका दिनांक 17.03.2009 को दायर किया गया है जिसमें दिनांक 25.03.2010 को उपायुक्त, सरायकेला–खरसावां के द्वारा रिविजन आलेख को स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2008 को खारिज कर दिया गया । इकाई द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(C) 2212/2010 दिनांक 12.05.2010 दायर किया गया है, जो विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 234 /रॉची, दिनांक 21-02-2014
01 / उ0नि0 / (विधानसभा)–15 / 2014

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, रॉची को उनके ज्ञापांक 367 दिनांक 17.02.2014 के आलोक में उत्तर प्रति की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/14
अवर सचिव,

61

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-04

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक 1135 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य योजना तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है :- 1. राज्य योजना - 338 2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - 894 **कुल संख्या :- 1232** इसके अतिरिक्त 121 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है, जिस पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में अब तक शिक्षक की नियुक्ति नही हुई है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षक नियुक्ति की विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1232 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-27/2014 342 / दिनांक 21-02-2014 /

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(62)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -02

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्थायी प्रस्वीकृती प्राप्त डिग्री महाविद्यालय अंगीभूत करने की मांग को लेकर गत दो माह से हड़ताल पर है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्थायी प्रस्वीकृती प्राप्त महाविद्यालयों को अंगीभूत करने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	स्थायी संबंद्धता प्राप्त 46 महाविद्यालयों के समस्याओं के समाधान के लिए गठित समिति से प्राप्त रिपोर्ट की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरान्त नियामानुसार उचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि 2-07/2014...313.../रांची दिनांक-...21.02.14.../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-305 दिनांक-16.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(63)

श्री उमाकांत रजक, माननीय सदस्य विधानसभा के द्वारा दिनांक 22.02.2014 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–03 का उत्तर सामग्री के संबंध में।

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	संख्या–अ०सू०–03, क्या मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि वन एवं पर्यावरण विभाग में दिनांक 01.08.1985 के पूर्व दैनिक भोगी कर्मचारियों का समायोजन/ नियुक्ति हेतु संलेख मंत्रिपरिषद् को समर्पित है;	अस्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त समर्पित संलेख पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/वित्त विभाग के द्वारा बार–बार आपत्ति लगाने के कारण 25 वर्षों से इस विभाग में नियमित सेवा के आशा में कार्यरत लगभग 500 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में डूब गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दैनिक कर्मियों के नियमितिकरण के संबंध में WP(S) 5924/2003 रमेश महतो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 31.07.2012 के पारित आदेश एवं संबंधित अन्य मामलों में विभिन्न तिथियों पर भी पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग) द्वारा एक नियमावली/वैधानिक योजना तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। नियमावली प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अग्रत्तर कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त दैनिक भोगी कर्मचारियों को समायोजित/नियुक्ति दिलाना चाहती है, हॉ, तो कब तक, और नहीं तो क्यो?	

झारखण्ड सरकार

वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक– 4/वि0स0अ0सू0प्र0–24/2014 920 दिनांक– 20/2/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञांप सं0–309 दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची /माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/14

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

64

श्री माधवलाल सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-17

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है।	मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित गोमिया प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, केरी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पचमो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चिदरी एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हुरलुंग के पाँच-पाँच के दायरे में कोई उच्च विद्यालय नही है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 तथा 2 के आलोक में वर्णित विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1,2,3 में वर्णित विद्यालयों के बच्चे उच्च विद्यालय की शिक्षा आर्थिक अभाव के कारण बाहर जाकर नही पढ़ पाते है।	निकटतम अवस्थित उच्च विद्यालय में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, केरी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पचमो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चिदरी एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हुरलुंग को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् निर्धारित नीति के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-57/2014.....347...../ दिनांक.....21-02-2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(65)

श्री हेमलाल मुर्मू, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0अ0सू0–09

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :– **माननीय मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह**

क्र0 सं0	प्रष्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा राज्य में बालू घाटो की नीलामी का ठेका सरकार द्वारा वर्ष 2010 में बनाये गए कानून/एक्ट को निरस्त करते हुए वर्ष 2004 के एक्ट के अनुरूप ठेका/नीलामी करने का प्रावधान किया गया है, ताकि आमसभा के माध्यम से घाटो की नीलामी से ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास होगा।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–12.12.2013 के मद संख्या–19 में 'अन्यान्य' में लिये गए निर्णय के अनुपालन में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम–12 में संशोधन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि बालू घाटो के आवंटित निविदा रद्द होने बाद भी राज्य में पूर्ण रूप से बालू का उठाव नहीं हो रहा है, और बालू की बिक्री अधिक दामों पर की जा रही है,	विधि विभाग के परामर्श के आलोक में सभी संबंधित उपायुक्तों को Case to Case जाँच कर अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए निदेशित किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में बालू की काला बाजारी रोकने, बालू घाटों की नीलामी से आमसभा को प्राप्त राजस्व को संबंधित क्षेत्रों के विकास में खर्च कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	–तदैव–

ह0/–

(मनोज जायसवाल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–' वि0स0 (~~ला0~~)– 12 /14 220 /एम0, राँची, दिनांक– 21/2/14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियाँ के साथ उनके ज्ञापांक संख्या–338, दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14
सरकार के उप सचिव।

श्री विधुत वरण महतो, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–22.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–10 का उत्तर सामग्री –

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री विधुत वरण महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बहरागोडा एवं चाकुलिया में दो आई0टी0आई0 महाविधालय के भवन विगत एक वर्ष से बन कर तैयार है, किन्तु प्रधानाध्यापकों एवं कर्मचारियों तथा आवश्यक उपकरणों के अभाव में दोनो महाविधालयों में शैक्षणिक कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो सका है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में दूसरा कोई अन्य तकनीकी महाविधालय नहीं है, जिसके कारण विधार्थी को अन्यत्र जाना पड़ता है;	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित दो महाविधालयों की आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नवनिर्मित औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहरागोडा एवं चाकुलिया को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप(पी0पी0पी0) के अन्तर्गत संचालित करने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के आलोक में, निविदा के माध्यम से कमशः JIS foundation, Kolkata, एवं Orissa Manganese & Mineral Ltd & adiwasi welfare trust, Bhubaneswar के द्वारा संचालित करने हेतु इन संस्थानों को हस्तगत कराने की कार्रवाई की जा रही है।

20.2.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(विधानसभा)–716/2014– 214 रॉची, दिनांक :– 20-02-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–384 दिनांक–17.02.14 के प्रसंग में 200 चकचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

(67)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.02.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 का प्रश्नोत्तर

क्या मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, यह बतलानें की कृपा करेंगे किः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसाँवा जिला अन्तर्गत सैकड़ों क्रसर वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जाने के कारण बंदी के कगार पर है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि क्रसर बंद हो जाने के कारण हजारों मजदूर बेरोजगार एवं भुखमरी के कगार पर हैं;	पर्षद से संबंधित नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर क्रसर को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्धारित अनापत्ति प्रमाण–पत्र से संबंधित गाईड लाईन को पूरा करने वाले आवेदकों को प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण की शर्त्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाते है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–30/2014– 922 व0प0, राँची, दिनांक– 20/2/2014

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–379 दिनांक–17.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/2/14.

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(68)

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-01

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि आलिम (स्नातक) एवं फाजिल (स्नातकोत्तर) की परीक्षा झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित कर डिग्री (उपाधि) दिये जाने के कारण दूसरे राज्यों में डिग्री की मान्यता नही दी जा रही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। अविभाजित बिहार राज्य के समय से ही मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित सभी स्तर की परीक्षाओं यथा आलिम एवं फाजिल का आयोजन बोर्ड द्वारा किया जाता है। झारखण्ड गठन के पश्चात् झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 के तहत् मदरसा द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं का आयोजन करने की शक्ति झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को ही दी गयी है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आलिम (स्नातक) एवं फाजिल (स्नातकोत्तर) की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कर डिग्री देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में विश्वविद्यालय द्वारा मदरसा के माध्यम से संचालित आलिम एवं फाजिल की परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान नहीं है।

ह०/- 21/2/14
संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-26/2014......343......../ दिनांक 21-02-2014.

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 21/2/14
संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

69

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-12

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में 2004 से पूर्व नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को राजकीय तथा अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के भांति छठा वेतनमान का लाभ मिल रहा है, परन्तु मदरसा एवं संस्कृत शिक्षकों को त्रिविध लाभ योजना (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि) की सुविधा नही दी जा रही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अविभाजित बिहार राज्य के समय से ही राज्य के वैसे 131 प्रस्वीकृत अल्प संख्यक माध्यमिक विद्यालय, जिनका अधिग्रहण बिहार माध्यमिक विद्यालय (प्रबन्ध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1982 के तहत् नहीं किया गया है, को छठे पुनरीक्षित वेतनमान् का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अविभाजित बिहार राज्य के समय से ही राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त 186 मदरसों एवं 12 संस्कृत विद्यालयों को छठे पुनरीक्षित वेतनमान् में वेतन भुगतान किया जा रहा है। इन मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों को अविभाजित बिहार राज्य के समय से ही पेंशनादि की सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में 2004 से पूर्व नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को राजकीय तथा अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की तरह मदरसा एवं संस्कृत शिक्षकों को त्रिविध लाभ योजना (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि) की सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अविभाजित बिहार राज्य के समय से ही प्रश्नाधीन मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों को पेंशनादि देने का कोई प्रावधान नहीं है।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-54/2014 3018 / दिनांक 21-02-2014

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

70

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.02.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–06 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र के पिरटॉड प्रखण्ड पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी बाहुल्य होने के साथ–साथ वर्षों से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 से अबतक खण्ड (i) में वर्णित प्रखण्ड के कई गाँवों में जैसेः– कठवारा, दुधनिया, दुबेडीह, धोलकट्टा, पूर्णानगर, केन्दुवाडीह, बरमसिया, महदुडीह, धावाटाँड, लुकुरवो एवं चंपानगर के ग्रामीणों को जंगली हाथियों द्वारा अनेकों बार काफी नुकसान पहुँचाई गई है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड (ii) में वर्णित ग्रामीणों को सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति का आवश्वासन के बावजूद अब तक किसी प्रकार की मुआवजा राशि नहीं दी गई;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (ii) में वर्णित ग्रामीणों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कुल 845 मामलों के विरूद्ध कुल 48,25,218.00 रूपये के मुआवजा का भुगतान वर्ष 2010–11 से जनवरी, 2014 तक किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–25/2014– 919 व0प0, राँची, दिनांक– 20/02/2014

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–310 दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/2/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

श्री बन्ना गुप्ता, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-08

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्थापना अनुमति प्राप्त कई कॉलेज हर बार बिना प्रस्वीकृति के नामांकन कर लेते है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि इंटरमीडियेट महाविद्यालय, जिन्हें स्थापना अनुमति प्राप्त है, वे बिना प्रस्वीकृति के नामांकन ले लेते हैं। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा ऐसे इंटर महाविद्यालयों को मात्र एक सत्र हेतु स्थापना अनुमति दी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि कॉलेज के प्रस्वीकृति संबंधित फाईल किसी न किसी कारण से या तो जैक या फिर मानव संसाधन विकास विभाग के पास लंबित रहती है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार इस शर्त के साथ स्वीकृति देती है कि अगली बार कॉलेज बिना प्रस्वीकृति के नामांकन नही लेंगे।	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुतः छात्र हित में ध्यान देते हुए इस तरह की परीक्षा की अनुमति दी जाती है।
4	क्या यह बात सही है कि कॉलेज, जैक और सरकार के प्रकिया में प्रत्येक वर्ष हजारों छात्र का भविष्य दांव पर लग जाता है।	जिन इंटर महाविद्यालयों को स्थापना अनुमति प्राप्त है, उनमें नामांकित छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति जनहित में दी जाती है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस संबंध में नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग इस संदर्भ में उचित प्रावधान करते हुए सख्त कार्रवाई करने हेतु कृत्तसंकल्प है।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-25/2014.....341...../ दिनांक.....21-02-2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।